

केंद्र ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान की

स्रोत: द हिंदू

केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।

- **नागरिकता संशोधन नियम, 2024** को गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसने दिसंबर, 2019 में **संसद** द्वारा पारित होने के 4 वर्ष पश्चात् **CAA** के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
- **CAA 3 पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के 6 गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के प्रवासियों (गैर-दस्तावेज़) को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।**
- **धारा 6B (2019 के CAA द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रस्तुत) उल्लिखित 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिये देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक वशिष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।**
 - इसने नागरिकता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।
 - इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को "अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा" तथा **उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 एवं वंदिशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।**
 - **धारा 6B की प्रवृष्टि से ऐसे प्रवासियों को पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।**

What the rules state

Centre has implemented CAA, 4yrs after the law was passed, as it notified rules ahead of expected announcement of LS polls

THE 39-PAGE NOTIFICATION... of the Citizenship (Amendment) Rules, 2024

...STATES THAT AN APPLICANT WILL HAVE TO SUBMIT

• Form VIII A, with affidavits verifying statements and character of applicant	• Declaration that they have adequate knowledge of a language specified in 8th schedule of Constitution	• Supporting papers like a passport, or identity document to show someone in lineage was a citizen of one of the three countries
--	---	--

APPLICANT MUST ALSO PROVE

1 They entered India before December 31, 2014	2 The applicant or either of his parents was a citizen of Independent India
--	--

WHAT IS THE 2019 ACT?

CAA made people from Hindu, Sikh, Jain Buddhist, Christian and Parsi faiths who entered India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship

और पढ़ें: [नागरिकता संशोधन अधिनियम: अनपेक्षित, केंद्र ने CAA कार्यान्वयन के लिये नियमों को अधिसूचित किया, नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#)

